RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-06
June -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

माध्यमिक शिक्षा में मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन का योगदान

[1]Samapti Paul and [2] Dr. Mahesh Bishu

[1]Research Scholar, Deptt. Of Education, OPJS University, Churu, Rajasthan
[2]Deptt. Of Education, OPJS University, Churu, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 19 June 2018

Keywords
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड माध्यमिक शिक्षा

ABSTRACT

1948 ई० में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। जिससे माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान कर्मियों को जाना जा सके और उसका सुधार किया जा सके, लेकिनउस समय आयोग का गठन नही हो सका। 1951 ई० में इस बोर्ड ने पुनः अपनी इस मांग को दुहराते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की अत्याधिक आवश्यकता है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा एकांगी है और उसमें विद्यार्थियों की रूचियों तथा क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस सुझाव को स्वीकार करत हुए भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 ई० में ''माध्यमिक शिक्षा आयोग'' की नियुक्ति की जिसमें नौ सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे।

माध्यमिक शिक्षा आयोग को मूलतः निम्नलिखित दो बातों की जाँच करनी थी –

(1) सम्पूर्ण भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन कर उसके प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालना।
(2) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में विचार व्यक्ति करना।
(क) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और पाठ्यक्रम
(ख) माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से संबंध।
(ग) भिन्न–भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध।
(घ) माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्या

जाँच के बाद आयोग द्वारा दिये गये सुझाव एवं सिफारिशें– आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और समस्याओं को जानने के लिए देश के कई राज्यों में घूम–घूम कर लोगों से साक्षात्कार लिया और शिक्षा शास्त्रियों से वस्तु स्थिति का पता लगाया। लोगों से प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में लिया। इन सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट 244 पृष्ठों का था। आयोग ने 23 अगस्त 1953 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। जिसमें माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित दोष थे–

(1) माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है यह छात्रो को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है।
(2) माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय, संकुचित, रूठिबद्ध एवं नीरस है। यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती है।
(3) माध्यमिक शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति ध्यान नहीं देती है इससे अनुशासन हीनता की भावना आती है।
(4) माध्यमिक शिक्षा छात्रों के नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती है। ये उनको उत्तम नागरिक नहीं बनाती है।
(5) माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है यह छात्रों के जीवन का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है।
(6) माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है। यह छात्रों की अपनी रूचियों एवं मनोवृतियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देती है।
(7) शिक्षण विधियाँ परम्परागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित करती है और शिक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है।
(8) अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अनिवार्य विषय है। जिन छात्रों को अंग्रेजी नहीं आती इसके अध्ययन में अपनी शक्ति समय का नष्ट करते हैं।

माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य– आयोग ने अपने सुझाव में माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये है।

(1) छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना।
(2) छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना।
(3) छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
(4) छात्रों के नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना।

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन– आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पुनगर्ठन आवश्यक मानते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये –

(1) माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। और यह शिक्षा 11 से 15 वर्ष तक की आयु के छात्रों को दी जाय।
(2) माध्यमिक शिक्षा की अवधि निम्नलिखित दो भागों में विभाजित की जाय–
(क) तीन वर्ष तक जुनियर माध्यमिक शिक्षा।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

(ख)चार वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

(3) वर्तमान इन्टरमीडिएट कक्षा को हटाकर उसका एक वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में और एक वर्ष विश्वविद्यालय डिग्री कार्से में मिला दिया जाय।

(4) डिग्री कोर्स तीन वर्ष का कर दिया जाय और इन्टरमीडिएट कॉलेजों से विश्वविद्यालय में प्रवेशलेने वाले छात्रों के लिए एक वर्ष के पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स रखा जाय।

(5) बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाय जिनमें विद्यार्थियों की रूचियों और क्षमताओं की पूर्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। पर सभी विद्यालय को बहुउद्देशीय बनाना आवश्यक नहीं है।

(6) ग्रामीण विद्यालयों में कृषि– शिक्षा का विशेषरूप से प्रबन्ध हो और वहाँ उद्यान, कला, पशुपालन और कुटीर उद्योगों की भी शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।

(7) पर्याप्त संख्या में पॉलीटेकनिक और टेक्निकल स्कूलों की स्थापना की जाय जो या तो स्वतंत्र रूप से स्थापित हो या फिर बहुउद्देशीय विद्यालयों से संबद्ध हो। साथ ही इन विद्यालयों की स्थापना यथासंभव विभिन्न उद्योंगो से संबंधित कारखानों के समीप होनी चाहिए।

(8) कल–कारखानों के लिए टेक्निकल स्कूलों के छात्रों का व्यवहारिक शिक्षा–प्रदान करना अनिवार्य कर दिया जाय।

(9) सरकार को उद्योगों पर ''उद्योग शिक्षा कर'' लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा के विस्तार पर व्यय करना चाहिए।

(10) भारत के प्रत्यक राज्य में निवास–विद्यालयों की स्थापना पर ध्यान दिया जाय।

(11) अन्धे, बधिर और मूक व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों का प्रबन्ध करना चाहिए।

(12) बालक–बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी विशेष अन्तर की आवश्यकता नही है बालिकाओं के लिए ''गृह–विज्ञान'' के अध्ययन की समुचित व्यवस्था हो।

(13) पब्लिक स्कूल को कुछ समय तक यथावत् चलने दिया जाय पर एक निश्चित अवधि के उपरान्त उनका संगठन अन्य माध्यमिक विद्यालयों की भाँति कर दिया जाय।

भाषाओं का अध्ययन– माध्यमिक विद्यालयों में भाषाओं के अध्ययन के संबंध के आयोग ने जो सझाव दिया वो निम्नलिखित है –

(1) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। लेकिन बहुभाषा भाषी अल्पसंख्यकों का ''केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड'' के सुझावों के अनुसार विशेष प्रकार की सुविधा दी जाय।

(2) मिडिल स्कूल में प्रत्येक छात्र को कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाय और हिन्दी व अंग्रेजी शिक्षा जूनियर बेसिक स्तर के पश्चात् ही दी जाय, लेकिन इसे बात का ध्यान रखा जाय कि एक ही वर्ष में दोनों भाषाओं को शिक्षा न प्रारंभ कर दी जाय।

(3) उच्च माध्यमिक या हायर सेकेण्डरी स्तर पर विद्यालयों मं कम–से–कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाय जिसमें से एक मातृभाषा हो और दूसरी प्रादेशिक भाषा।

पाठ्यक्रम और शिक्षा– यह आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर विस्तारपूर्वक अपना विचार व्यक्त किया है –

(1) पाठ्यक्रम को छात्रों की विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं के विकास में सहायक होना चाहिए।

(2) पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलापन होना चाहिए जिससे उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरूचियों के अनुरूप बनाया जा सके।

(3) पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

(4) पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्रों को न केवल कार्य करने अपितु अपने अवकाश का सदुपयोग करने की भी सुविधा मिले।

(5) पाठ्यक्रम के सभी विषयों में परस्पर घनिष्ट संबंध रहना चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धांतो के आधार पर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए निम्नलिखित विषय निर्धारित किये।

मिडिल या जूनियर हाई स्कूल –

(1) भाषाएँ
(2) समाज विज्ञान
(3) सामान्य विज्ञान
(4) गणित
(5) कला और संगीत
(6) हस्तशिल्प तथा
(7) शारीरिक शिक्षण

हायर सेकेण्डरी स्कूल – इसके पाठ्यक्रम में विविधता की आवश्यकता मानते हुए निम्नलिखित सात समूहों का उल्लेख किया गया है–

(1) सामाजिक विषय
(2) विज्ञान
(3) टेक्निकल विषय
(4) वाणिज्य विषय
(5) कृषि
(6) ललित कलाएँ और
(7) गृह विज्ञान

इनमें से छात्र किसी भी समूह के तीन विषय ले सकते हैं पर सभी समूहों के विद्यार्थियों को भाषा, सामान्य विज्ञान और समाज विज्ञान या शिल्प का अध्ययन अनिवार्य करना होगा।

पाठ्य पुस्तकं – पाठ्य–पुस्तकों के बारे में आयोग द्वारा दिया गया सुझाव निम्नलिखित है –

(1) पाठ्य–पुस्तकों का स्तर ऊचाँ उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक हाई पावर कमेटी का निर्माण किया जाय।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

(2) समिति पुस्तकों की छपाई आदि के संबंध में निश्चित सिद्धान्त बनाये।
(3) पुस्तकों के चित्र बनाने वाले कला में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए।
(4) प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तके निश्चित हों और पाठ्य पुस्तकें जल्दी–जल्दी बदली न जाय।

शिक्षण पद्धति– शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें है–

(1) शिक्षण पद्धति का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही न होकर छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोण और कार्य–करने की प्रवृतियों का समावेश होना चाहिए।
(2) सभी विषयो के अध्ययन में छात्रों को आत्मभिव्यक्ति का अधिक से अधिक अवसर मिले।
(3) यथासंभव ''क्रिया–पद्धति'' और ''योजना पद्धति'' को प्रमुखता दी जाय।
(4) छात्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिये जाय।

चरित्र निर्माण और धार्मिक शिक्षा– छात्रों के चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये–

(1) छात्रों के चरित्र निर्माण का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर है अतः विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाय।
(2) अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए अध्यापकों व विद्यार्थियों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।
(3) विद्यालयों में सामूहिक खेलों और पाठान्तर क्रियाओं को शिक्षा का अभिन्न अंग समझते हुए अध्यापकों एवं छात्रों के लिए इनमें भाल लेना अनिवार्य कर दिया जाय।
(4) सभी विद्यालयों में एन०सी० सी० जूनियर, रेडक्रास व स्काउटिंग आदि कार्यो को प्रोत्साहित किया जाय।
(5) राजनीतिक चुनावों एवं प्रचार कार्यो में 10 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध माना जाय।
(6) विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वशासन पद्धति को अपनाया जाय।
(7) चरित्र विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण का भी अत्यन्त महत्व है इसलिए विद्यालयों में इनकी सहायता से चरित्र–निर्माण पर ध्यान दिया जाय।

शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षण– आयोग की दृष्टि में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर अवश्य देना चाहिए। इस संबंध में भिन्न–लिखित सुझाव दिये–

(1) सभी छात्रों की प्रतिवर्ष पूर्णरूप से स्वास्थ्य परीक्षा की जाय और जो विद्यार्थी रागो से पीड़ित हो या हमेशा अस्वस्थ रहता हो उनका बार–बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय।
(2) सभी राज्यों में ''स्कूल मेडिकल सर्विस'' का संगठन किया जाय।
(3) समस्त बीमार छात्रों की विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिकित्सा की जाय।
(4) छात्रों को स्वस्थ्य रखने के लिए उन्हें शारीरिक श्रम के प्रति आकृष्ट किया जाय।
(5) 40 वर्ष से कम आयु के अध्यापक स्वयं छात्रो के साथ शारीरिक श्रम के कार्य करें ताकि छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति उत्साह उत्पन्न हो।
(6) शिक्षको को शारीरिक शिक्षण ट्रेनिंग के लिए पूर्ण सुविधा दी जाय और कुछ अध्यापकों का प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धातो में भी प्रशिक्षित किया जाय।
(7) विद्यार्थियों के लिए यथासंभव आहार का भी प्रबंध किया जाय।

परीक्षाएँ एवं मूल्यांकन– अबतक के जिनने भी आयोग बने उसके अपेक्षा मुदालियर कमीशन का परीक्षाओं के संबंध में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण रहा है जो निम्नलिखित है –

(1) बाहरी परीक्षाओं की संख्या कम कर दी जाय।
(2) यथा संभव निबन्धात्मक पद्धति परीक्षाओं के कम करने का प्रयास किया जाय।
(3) विद्याथियों के कार्यो का मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षाओं, नियतकालिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों के आधार पर करना चाहिए।
(4) प्रत्येक विद्यार्थियों का एक विद्यालय अभिलेख अवश्य रखा जाय तथा उसमें उसके द्वारा दिये गये विभिन्न कार्यो एवं सफलताओं का उल्लेख हो।
(5) माध्यमिक विद्यालय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होने पर ही केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाय।

विद्यालय भवन एवं पुस्तकालय– माध्यमिक विद्यालय की उन्नति के लिए पाठशाला भवन एवं पुस्तकालय निर्माण के संबंध में भी कमीशन ने उपयोगी सुझाव दिये–

(1) पाठशाला भवन किसी योजना के अनुसार बनाया जाय और नगर के कोलाहल से दूर हो तथा वहाँ प्रकाश और वायु का विशेष ध्यान रखा जाय।
(2) माध्यमिक पाठशालाओं में श्रेणी पुस्तकालय व पुस्तकालय दोनों की आयोजन की जाय।
(3) सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में विद्यार्थियों के लाभ की दृष्टि से एक विशेष भाग होना चाहिए।
(4) छात्रों और जनसाधारण के हित की दृष्टि से पुस्तकालय गर्मी की छुट्टियों में भी खुले रहें।

माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श– आयोग की दृष्टि में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के मार्ग–प्रदर्शन का निर्देशन आवश्यक है जिससे कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों और कार्यो को भलीभाँति समझ सके। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कमिशन ने निम्नलिखित सिफारिशें की–

RRIJM 2015, All Rights Reserved

(1) शिक्षा अधिकारियों को विद्याथियों के शैक्षिक निर्देशन पर अधिक– से–अधिक ध्यान देना चाहिए।
(2) विभिन्न उद्योगों और व्यवसायो के संबंध में छात्रों को पूर्ण जानकारी दी जाय और इसके लिए उन्हें विभिन्न उद्योगों के से संबंधित फिल्मे दिखाई जाय।
(3) विद्यालय में प्रशिक्षण निर्दशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाय।
(4) उक्त मार्ग प्रदर्शन पदाधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षको के पशिक्षण की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करे।

अध्यापको की स्थिति में सुधार–

(1) देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि–समान होनी चाहिए।
(2) अध्यापकों के उचित वेतन के लिए विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करके उनसे यह सुझाव माँगा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में वेतन कितना होना चाहिए।
(3) सह अध्यापकों केलिए ''त्रिमुखी लाभ योजना'' जीवन बीमा पेन्शन एवं प्रावीडेण्ट फण्ड, आरंभ की जानी चाहिए।
(4) अध्यापकों को विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए ''निर्णायक मण्डल'' की नियुक्ति की जानी चाहिए।
(5) ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण अंगो के संबंध में अनुसाधन किया जाना चाहिए।
(6) एम० एड० कक्षाओं में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो स्नातक हो और विद्यालय में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षण कार्य कर चुके हों।
(7) अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए विशिष्ट अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा का कार्य चलता रहेगा।

मुदालियर आयोग के सभी सिफारिशों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आयोग का स्थान माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त है। उसने माध्यमिक शिक्षा के पुन निर्माण के संबंध में अनेक सुन्दर एवं सुदूरगामी सुझाव दिये है। स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्धारिण छात्रों की अपनी व्यक्तिक क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुकूल विभिन्न विषयों का अध्ययन सुलझ बनाने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना छात्रों को अपने भावी व्यवसायों का चयन करने में सहायता देने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धि कृषि प्रधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि शिक्षा की अनिवार्यता का समर्थन, देशके उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करने के लिए तकनीकी विद्यालयों एवं प्राविधिक संस्थाओं की व्यवस्था और परीक्षा–प्रणाली, अध्यापक–प्रशिक्षण एवं शिक्षका की स्थिति में सुधार किये जाने पर बल।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को छात्रों एवं देश के लिए उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त के अतिरिक्त और भी अनेक व्यवहारिक एवं रचनात्मक सुझाव दिये है। व्यवहारिक एवं रचनात्मक सुझाव दिये है। उसके कुछ सुझाव वस्तुतः अधूरे, अमान्य एवं अविस्तृत है, जो छात्रों द्वारा तीन भाषाओं का अध्ययन और स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सिफारिशों में कमी। पर यदि हम उनके सुझावों पर समग्ररूप से विचार करें तो हम संशय रहित होकर कह सकते है कि उनके सुझावों के क्रियान्वित करने मे माध्यमिक शिक्षा का संरचना बदल जाता है और उसका स्वरूप नया एवं आकर्षक हो जाता। इस नवीन माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करके भारत के भावी नागरिक बनाने वाले छात्र अपनी मात्भाषा की आर्थिक, सामाजिक एवं राजीतिक क्षेत्रों में उन्नति करके, उसकी बहुमुखी प्रगति में योगदान देते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. बारनाथ तथा कोडिर्श (1961)– शिक्षा के समूह में धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य।
2. पालिवाल राधेश्याम (1973–74)– माध्यमिक स्तर पर अनुशासनात्मक मूल्यों का अध्ययन।
3. पाण्डेय रामशकल – निवर्तमान प्रोफेसर तथा अध्यक्ष शिक्षा शास्त्रविभाग एवं अधिष्ठाता, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय/भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास।
4. त्यागी जी0 एस0 डी0– एम0 ए0 एम0 एड0 लेक्यगर इन एजुकेशन, आर0 ई0 आई टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दयालबाग एंव पाठक पी0डी0–एम0 एं (अंग्रेजी, इतिहास) बी0 टी0 एम0 आर0 एस0 टी0 (लंदन) भारतीय शिक्षा के आयोग।

RRIJM 2015, All Rights Reserved